

प्रेषक,

श्री राम कुमार,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सचिव,
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केंद्र-2, मसूदा केंद्र,
प्रति विहार, नई दिल्ली ।

दिनांक 17 अगस्त

लखनऊ: दिनांक: 26 अगस्त, 2001

विषय:- सिलवर केस पब्लिक स्कूल, डेरगा रोड, शाही बुकमनगर जी०पी०एम०की नईदिल्ली से संबन्धित हेतु अनारक्षित प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर छे पद मने का निर्देश द्वा के कि सिलवर केस पब्लिक स्कूल डेरगा रोड, शाही बुकमनगर जी०पी०एम०की नईदिल्ली से संबन्धित हेतु अनारक्षित प्रमाण पत्र दिये जाने में का राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिकों के अधीन कार्यरत नही है :-

- 111 विद्यालय की पंजीकृत संसाधनी का सत्य-सत्य पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।
- 131 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा बैसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नईदिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केंद्रीय परिषदों की संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० मा० शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

Secretary
Citizens' Welfare Society
Shamli



- 151 संस्था वैश्विक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे ।
- 161 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अज्ञातकीय उ०म०० विद्यालयों के कर्मचारियों के अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181 उक्त शर्तों से राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी भी प्रकार की चूक या गिराविलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनुपत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

1 राम कुमार 1
विशेष सचिव ।

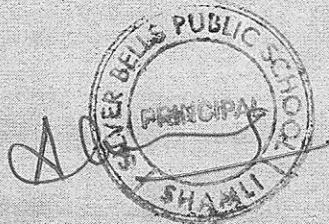
पृ० सं०- 6397111/15-7-तृ० दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, **गोरखपुर** ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, **गुमनामपुर** ।
- 4- निरीक्षक, अंग्रेज भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।

5- प्रमुख, **गोमनामपुर** केन्द्र, **गोमनामपुर** केन्द्र, **गोमनामपुर** केन्द्र, **गोमनामपुर** केन्द्र ।

Secretary
Citizens' Welfare Society
Shamli



आज्ञा से,

1 अखिलेश चन्द्र गुप्ता 1
अनुसचिव ।